कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना

चतुर्थ तल, टेक्नोलॉजी भवन, विश्वसरैया परिसर, बेली रोड, पटना .800 015

पत्रांक- 2343

प्रेषक-

बी० एन० झा
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(विकास),
बिहार, पटना।

मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना,
प्रशिक्षण एवं विस्तार, बिहार

सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक

निदेशक, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, बिहार

निदेशक, हरियाली मिशन, बिहार

पटना, दिनांक- 19-8-13

विषय: **विभाग द्वारा किये जा रहे वृक्षारोपण कार्य के सम्पोषण / अनुरक्षण की व्यवस्था सुदृढ़ीकरण सम्बंधी।**

महाशय,

विभाग द्वारा किये जा रहे वृक्षारोपण के सम्पोषण की व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं उत्तरजीविता में बढ़ोत्तरी हेतु निम्न दिशा-निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं-

1. **निरीक्षण के मानदंडो का कठोरता से सभी क्षेत्रीय अधिकारियों (क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक स्तर तक) द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाना और किये गये अनुपालन नियमित रूप से प्रतिवेदित करना:**

क) पौधरोपण के उचित संपोषण एवं सफल होने के लिये वनरक्षी से लेकर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक स्तर तक के क्षेत्रीय कर्मियों / पदाधिकारियों द्वारा

C.No-134801/2013/EF Dept.

रोपण की योजनाओं का सघन रूप से नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण अपेक्षित है। निर्देश चाहे जितने दिये जाँय और राशि चाहे जो खर्च की जाय, यदि निरीक्षण प्रभावी नहीं है तो रोपण की सफलता संदिग्ध रहती है।

अतः किये गये निरीक्षण / पर्यवेक्षण का प्रतिवेदन सभी स्तर से अपने एक स्तर ऊपर मासिक रूप से प्रतिवेदित की जाय जिसमें निरीक्षण का स्पष्ट व्यौरा हो और निरीक्षित पौधरोपण के दशा का स्पष्ट विवरण हो। इस हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न है। प्रपत्र से वांछित सभी सूचनायें कृपया दें और वे चाहें तो अतिरिक्त सूचना हेतु अलग से कागज लगावें।

ख) सभी वन पदाधिकारियों के लिए भ्रमण दैनिकी देने के संबंध में निदेश पूर्व में जारी किये जा चुके हैं। सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी निर्धारित समय में अपनी भ्रमण दैनिकी प्रेषित करें जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि उन्होंने कहां-कहां किस उद्देश्य से भ्रमण किया है, किन क्षेत्रों का भ्रमण निरीक्षण किया है, किन योजनाओं का निरीक्षण/पर्यवेक्षण किया है, और उनकी दशा उन्होंने क्या पायी है। यदि दशा खराब है तो उसका प्रथम दृष्टया क्या कारण है और उसका सुधार संभव है कि नहीं।

ग) वन प्रमंडल पदाधिकारी अपने नियंत्रणाधीन प्रमंडल के अन्तर्गत सभी वनरोपण स्थलों का स्वयं निरीक्षण कर निर्धारित तिथि (वसंतकालीन वृक्षारोपण के लिए 28 फरवरी तथा वर्षाकालीन वृक्षारोपण के लिए 15 अगस्त) तक यह प्रमाण पत्र दें कि उनके द्वारा नये वनरोपण स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लिया गया है तथा वनरोपण निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप सम्पन्न कराया गया है। इसी प्रकार वैसे रोपण स्थल जहां सम्पोषण कार्य चल रहा है उसके विषय में भी वर्ष में दो बार,(पहला अक्टूबर- नवम्बर में और दूसरा फरवरी-मार्च में) वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा निरीक्षणोपरान्त यह प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है कि सम्पोषण कार्य निर्धारित मानदंड के अनुरूप किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी वन क्षेत्र पदाधिकारी से भी उपर्युक्त आशय के प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया करेगें।

निरीक्षण के मानदंडो तथा दैनिकी समर्पण के प्रावधानों का कठोरता से प्रवर्त्तन हर स्तर से किया जाय और अनुपालन न करने वालों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव दिया जाय।

2. **पटवन एवं सुरक्षा हेतु नियोजित मजदूरों के मजदूरी भुगतान को उत्तर जीविता से जोड़ा जाना:**

क) वनरोपण क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से उत्तरजीविता निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं होने पर भी सुरक्षा के लिए मजदूरों को पूरी राशि माह दर माह दे दी जाती है जिससे सुरक्षा आदि कार्य के लिए रखे गये मजदूर कार्य के प्रति जबाबदेह नहीं रहते हैं। ऐसे में 90% तक उत्तरजीविता होने पर सुरक्षा मजदूरों को पूरी राशि दी जाय किन्तु 90% से कम उत्तरजीविता के आधार पर समानुपातिक रूप से राशि की कटौती की जाय।

उत्तरजीविता के संबंध में पौधों की गणना वनरक्षी एवं वनपाल द्वारा प्रतिमाह की जाय और उसी के आधार पर सुरक्षा आदि के लिए लगाये गये मजदूरों को भुगतान किया जाय।

ख) खण्ड वृक्षारोपण (Block Plantation) में भी 90% उत्तरजीविता होने पर ही सुरक्षा मद की पूरी राशि दी जाय। इससे कम होने पर समानुपातिक रूप से कटौती की जाय।

ग) मृत पौधों के बदलने के लिए एक साल से बड़े पौधे का ही प्रयोग किया जाय।

3. **नये रोपनियों एवं उनके संपोषण से संबंधित सभी अभिलेखों का ससमय संधारण सुनिश्चित करना और उनमें प्रविष्टियां अद्यतन करते जाना:**

वनरोपण पुस्त में सभी कार्यों की तिथिवार उल्लेख करना आवश्यक होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्लान्टेशन का आरम्भ तथा समाप्ति है। इसके अतिरिक्त कोड़नी-निकौनी, पानी पटवन की तिथि, सभी गतिविधियाँ तिथिवार प्लान्टेशन जरनल में अंकित की जाय।

वन क्षेत्र पदाधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि कार्य के दिन या अधिक-से-अधिक एक सप्ताह में प्लान्टेशन जरनल में प्रत्येक कार्य के सम्बंध में संगत प्रविष्टि कर दी जाय।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं उनके ऊपर के सभी पदाधिकारी निरीक्षण के बाद अपनी निरीक्षण- टिप्पणी सभी संबंधित अधिनस्थों को आगे की जाने वाली कार्रवाई के सुझाव के साथ निरीक्षण के तुरत बाद भेजें और निर्देशों का अनुपालन

एक तय समयावधि में अपने अधिनस्थों से प्राप्त करें, उसकी समीक्षा करें और निदेशों के पालन का सत्यापन करें।

5. योजना के विभिन्न अवयवों की प्राक्कलित राशि के सम्बंध में किसी प्रकार के संशय को दूर करने हेतु वनरोपण पुस्त (Plantation journal) में वन प्रमण्डल पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित योजना का प्राक्कलन चिपकाया जाय जिससे कि सभी कनीय कर्मचारियों/पदाधिकारियों यथा-वनपाल, वनरक्षी को कार्य की दरें तथा उसमें आकलित व्यय की वास्तविक एवं पूर्ण जानकारी हो सके।

6. वनरोपण क्षेत्रों में साईन बोर्ड (4'x3') लगाने का प्रावधान है तथा इसके लिए राशि भी मानक दरों (1.2.1, 2.7, 3.9) में दी गयी है। ***साईन बोर्ड में पौधों की संख्या, स्थल के नाम के साथ कार्य कराने वाले वन क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल तथा वनरक्षी का नाम के साथ-साथ कोड़नी-निकौनी तथा सुरक्षा करने वाले मजदूरों के नाम भी अंकित किये जायें।*** इसकी कठोरता से अनुपालन आवश्यक है।

7. यदि कोई वनरोपण प्राकृतिक आपदा, विशिष्ट प्रकृति के अन्य कारणों से (यथा रोग, सोद्देश्य क्षतिग्रस्त करने, आगलगी आदि) असफल होता है तो उसके संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन फोटो सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास) को उचित माध्यम से आपदा के तुरत बाद वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

उपर्युक्त दिशा-निर्देश पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है तथा इसका अनुपालन प्रत्येक स्तर के पदाधिकारियों से अपेक्षित है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

$0/-

(**बी0 एन0 झा**)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,बिहार

ज्ञापांक ...../ पटना, दिनांक जून, 2013

प्रतिलिपि :- सभी वन संरक्षक एवं सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

$0/-

(**बी0 एन0 झा**)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,बिहार

ज्ञापांक 2343 / पटना, दिनांक 19/8, 2013

प्रतिलिपि :- सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार को पर्यावरण एवं वन विभागीय पत्रांक-143 स0को0/प0व0 दिनांक-5.8.13 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

16.8.13

(बी0 एन0 झा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,बिहार